न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
79/2016/प्रा.पत्र/2016	19.12.2016	13.04.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1—श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री श्योजीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सूरजपुरा पो. वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शर्मा किराणा स्टोर वनस्थली विद्यापीठ गेट तह. निवाई जिला— टोंक

2— मैसर्स शर्मा किराणा स्टोर वनस्थली विद्यापीठ गेट तह. निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा —52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर, खा0सु0अ0।

2—अप्रार्थी उपस्थित

:—निर्णय—: **दिनांक 13.04.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.09.2016 को समय 01:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शर्मा किराणा स्टोर वनस्थली विद्यापीठ गेट तह. निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री श्योजीराम शर्मा मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया पूछने पर स्वयं को मैसर्स शर्मा किराणा स्टोर वनस्थली विद्यापीठ गेट तह. निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान के दुकान की रैक में कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) की लगभग 4 बोतल पैक्ड अवस्था में रखी हुई थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर श्री विनोद शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस दिया, जिस पर उसने नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर श्री विनोद शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) 4 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में ज्यों का ज्यों लेकर, लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रतयेक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1419 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विनोद शर्मा तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1419 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विनोद शर्मा एवं मालिक के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को दिनांक 07.09.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/4080 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/516/एक्ट/2016/556 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार विनोद शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) उल्लंघन करने पर **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कच्ची घाणी सरसों तेल (मासूम ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:29 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री श्योजीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सूरजपुरा पो. वनस्थली तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शर्मा किराणा स्टोर वनस्थली विद्यापीठ गेट तह. निवाई जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

13-4-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:44:29 IST
Reason: SelfAttested